राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1067/2025

नाजनीन अंसारी

–अपीलार्थी

बनाम

शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय,
जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2025
आदेश की दिनांक : 18.02.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलिम खान, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर जिला चिकिल्सालय, कुन्हाडी, कोटा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का नाम नाजनीन अंसारी, जबकि आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का नाम नाजमीन अंकित करते हुए अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो गलत है। अपीलार्थी के स्थानांतरण में प्रत्यर्थी विभाग ने विवेक का प्रयोग नहीं किया है। उकना आगे तर्क है कि अपीलार्थी के पति राजकीय सेवा में कोटा जिले में कार्यरत है। राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति के अनुसार पति–पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में होने पर उन्हें यथासंभव निकट पदस्थापित रखा जाना चाहिए। अपीलार्थी का स्थानांतरण 200 किमी. दूर किया गया है, जिससे अपीलार्थी को विभिन्न

परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अतः अपीलार्थी के आलोच्य स्थानान्तरण आदेश को स्थगित रखा जाए।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान आलोच्य आदेश में सही अंकित किया गया है। केवलमात्र अपीलार्थी का नाम नाजनीन अंसारी की जगह नाजमीन अंकित किये जाने के आधार पर स्थानांतरण आदेश को त्रुटिपूर्ण होना नहीं माना जा सकता है। ऐसे में केवलमात्र लिपिकीय त्रुटि के कारण स्थानांतरण आदेश को निरस्त किया जाना उचित नहीं है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण या नियम–विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है। अपीलार्थी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए सदैव स्वतंत्र है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष